परिशिष्ट 14 फारम सं० 562

बेला रक्षित
बनाम
मंगल मंडल

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.. तक जिला धनबाद

एम.पी. वाद संख्या.................... 506/2017 धारा 144 द०प्र०सं०

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अनुपालन
25-3-17	दं.प्र.सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, बरवाअड्डा भ.प्रा.सं. 04/17 दिनांक- 20-3-2017 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षो के विरूद्ध दं.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। कार्रवाई पर्यन्त 60(साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि- 7.4.17 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा-टुण्डी रोड लोहारबरवा, मौजा नं0-95, खाता नं0-22,56, प्लोट सं0-830,831 रकवा-10 डी0 चौहद्दी-उत्तर-मंगल मंडल का दुकान, दक्षिण-मन्टु रक्षित का मकान, पुरब-टुण्डी रोड तथा पश्चिम-पहलान मंडल का जमीन। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 25/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद। (हस्ताक्षर) 25/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 16:57:47 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner